

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 अप्रैल 2010—चैत्र 13, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल, 2010

क्र. (2) बी-1-36-2009-2-पांच.—मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस निमित्त जारी इस विभाग की अधिसूचना क्र. (12) बी-1-14-07-2-पांच, दिनांक 30 मार्च, 2007 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, बाईन के अतिरिक्त माल्ट मदिरा सहित सभी विदेशी मदिरा के ऐसे प्रत्येक नामपत्र (लेबिल) जिसका मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय परिवहन, निर्यात या आयात किया जाए, के प्रथम बार पंजीयन पर पंजीयन फीस के रूप में रुपए 15,000/- (रुपए पन्द्रह हजार केवल) एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए पंजीयन नवीकरण फीस के रूप में रुपए 1,500/- (रुपए एक हजार पांच सौ केवल) पेकिंग सामग्रीवार (जैसे कांच, पीट, केन इत्यादि), उपयोगिता के आधार पर (जैसे सिविल, मिलिट्री, स्थानीय, निर्यात इत्यादि) एवं पात्र की धारितावार (जैसे 750, 375, 180, 90, 60 मिलीलीटर इत्यादि) अलग-अलग विहित करती है.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2010 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल, 2010

क्र. (2) बी-1-36-2010-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना (2) बी-1-36-2009-2-पांच, दिनांक 3 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 3rd April 2010

No. (2) B-1-36-2009-2-V.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) and (3) of rule 9 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this department's Notification No. (12) B-1-14-07-2-V, dated 30th March, 2007 issued in this behalf, the State Government, hereby, prescribes Rs. 15,000/- (Rupees Fifteen thousand only) as registration fee at the time of first registration and registration renewal fee of Rs. 1,500/- (Rupees One thousand five hundred only) for every financial year or part thereof, for each label of foreign liquor including malt liquor and excluding wine, which may be sold in or transported in or exported from or imported into State of Madhya Pradesh, separately packing material wise (viz glass, PET, can etc) as per usage (Viz civil, military, local, export etc.) and containers capacity wise (viz 750, 375, 180, 90, 60 mililiters etc.).

2. This Notification shall come into force with effect from 1st April, 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.